



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

30 आश्विन 1942 (श10)

(सं० पटना 825) पटना, वृहस्पतिवार, 22 अक्टूबर 2020

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

22 अक्टूबर 2020

सं० एम-01-004/2020-56—बिहार विधान सभा साधारण निर्वाचन, 2020 में मतदान केन्द्रों पर निर्वाचकों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों से संबंधित भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली का अधिसूचना सं. 3/4/आई.डी/2020/एस.डी.आर./खण्ड-I दिनांक 3 अक्टूबर, 2020 के हिन्दी प्रारूप के पैरा 7 के मद सं. (iii) में बैंको/डाकघरों द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड के स्थान पर बैंको/डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक को प्रतिस्थापित कर सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मिथिलेश कुमार साहु,
संयुक्त सचिव-सह-
संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।

भारत निर्वाचन आयोग

शुद्धि-पत्र

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001/ दिनांक 19 अक्टूबर, 2020

सं. 3/4/आईडी/2020/एसडीआर/खण्ड-I— आयोग के अधिसूचना सं. 3/4/आईडी/2020/एसडी. आर/खण्ड-I दिनांक 3 अक्टूबर, 2020 के हिन्दी प्रारूप के पैरा 7 के मद सं. (iii) में 'बैंको/डाकघरों द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड के स्थान पर 'बैंको/डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक' को प्रतिस्थापित किया जाए।

आदेश से,
एन.टी.भूटिया,
सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIACorrigendum*Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001/ Dated:19th October, 2020*

No.3/4/ID/2020/SDR/VOL-I —In the Hindi Version of the Commission's Order No. 3/4/ID/2020/SDR/VOL.I Dated 3rd October, 2020 under item no. (iii) of the Para 7 for the phrase ' बैंको/डाकघरों द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड the phrase ' बैंको/डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक' shall be substituted.

**By Order,
N.T. BHUTIA,
SECRETARY.**

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 825-571+50-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>